



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267502
CG-DL-E-10112025-267502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4907]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025/कार्तिक 16, 1947

No. 4907]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025/KARTIKA 16, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवंबर, 2025

का.आ. 5062(अ).— केन्द्रीय सरकार, न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 410 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने अर्थात् 04.07.2026 तक 2,50,000/- रुपये (निर्धारित) प्रति माह के वेतनमान पर एतद्वारा पुनः नियुक्त करती है।

[फाइल सं. ए-12023/4/2025-प्रशा.IV-एमसीए]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November, 2025.

S.O. 5062(E).— In exercise of the powers conferred by section 410 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with sub-section (2) of section 3 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021), the Central Government hereby re-appoints Justice (Retired) Ashok Bhushan, Former Judge of the Supreme Court of India, as Chairperson, National Company Law Appellate Tribunal, in the pay scale of Rs. 2,50,000/- (fixed) per month, with effect from the date of assumption of charge of the post till attaining the age of Seventy years i.e. till 4th July, 2026.

[F. No. A-12023/4/2025-Ad.IV-MCA]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.